

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 689
25 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

गौरैया के पर्यावासों पर शहरी भू-परिदृश्य और भवन संरचनाओं का प्रभाव

689. श्री एस. जगतरक्षकनः

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि शहरी भू-परिदृश्य और भवन संरचनाओं में तेजी से आये परिवर्तनों के कारण घरेलू गौरियों के लिए उपयुक्त घोंसला बनाने तथा निवास के लिए उपयुक्त पर्यावासों को नुकसान पहुँचा है; और

(ख) यदि हां, तो शहरी क्षेत्रों में गौरैया के लिए अनुकूल पर्यावासों को विकसित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख): भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी विकास, नगर नियोजन, भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों के निर्माण सहित शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार अमृत और अमृत 2.0 जैसे योजनाबद्ध हस्तक्षेपों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करता है। यह राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

पर्यावासों का संरक्षण राज्य/यूएलबी की जिम्मेदारी है। अमृत मिशन हरित स्थानों/पार्कों के विकास और जलाशयों के पुनरुद्धार पर ध्यान केंद्रित करके राज्यों/यूएलबी के प्रयासों में सहायता करता है जो गौरैया के घोंसलों के रूप में काम कर सकते हैं।

अमृत मिशन के तहत, अब तक 1,604.77 करोड़ रुपये की लागत वाली 2524 हरित स्थान और पार्क परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 1,482.8 करोड़ रुपये की लागत वाली 2414 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं। इन परियोजनाओं के माध्यम से 5010.48 एकड़ हरित क्षेत्र विकसित किया गया है। अमृत के तहत 71.19 करोड़ रुपये की लागत वाली 9 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ शुरू की गई हैं, जिनमें से 64.66 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

अब तक अमृत 2.0 के तहत, 842.71 करोड़ रुपये की लागत वाली 1,401 हरित क्षेत्र और पार्क विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन स्वीकृत परियोजनाओं के माध्यम से, कुल 19,946.34 एकड़ हरित क्षेत्र और पार्क विकसित किए जाने का प्रस्ताव है।

इसके अतिरिक्त, अमृत 2.0 के तहत, 5,432.21 करोड़ रुपये की लागत वाली 2,713 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।
